प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— ग्रानिधारघोली-विशालकोट मार्ग का ग्राम डाला तक कोठिया-डौली विशालकोट मार्ग का विस्तार।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम — तसवाड़
तहसील— रानीखेत, जिला— अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद — अल्मोड़ा — के अन्तर्गत — ग्रानिधारघोली-विशालकोट मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (———— हे0 आरक्षित वन भूमि, ———— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.450 हे0, वन पंचायत भूमि 0.450 हे0) अर्थात कुल 0.900 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तसवाड़ द्वारा दिनांक 10/01/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तसवाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— [signature]   ह0/— कैलाशी देवी
ग्राम सचिव   ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत तरस्वाड़ वि0 खं0 ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)

Panjwan

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 01/01/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तसवाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 –	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
2 –	के० धन सिंह	के० धन सिंह
3 –	[illegible]	[illegible]
4 –	विजय सिंह [illegible]	[illegible]
5 –	[illegible] ([illegible])	[illegible]
6 –	[illegible]	[illegible]
7 –	[illegible]	[illegible]
8 –	[illegible]	[illegible]
9 –	रमेश चन्द	रमेश चन्द
10 –	हरीश चन्द	हरीश चन्द
11 –	इन्द्रा देवी	इन्द्रा देवी
12 –	दीप सिंह	दीप सिंह
13 –	[illegible] सिंह	[illegible]
14	[illegible] देवी	[illegible] देवी
15 –	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
16		
17		
18		
19		
20		

[illegible] देवी

ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

ह०/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— गनियाद्योली - विशालकोट मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया - डौंनी विशालकोट मार्ग का नवनिर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत गनियाद्योली - विशालकोट मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया डौंनी मोटर मार्ग (— X —हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.450 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.450 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.900 हे0 वन भूमि) का ———————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रानीखेत) की दिनांक 12/01/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री विनीत कुमार उपजिलाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष
2— श्री वी0 के0 सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3— श्री पी0 सी0 पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी ताड़ीखेत सदस्य/सचिव
4— श्री अम्बादत्त पन्त बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत

अम्बा दत्त पन्त
कनिष्ठ उप—प्रमुख
क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गनियाद्योली - विशालकोट मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया - डौंनी विशालकोट मोटरमार्ग परियोजना हेतु 0.900 हे0 वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 विभाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी का जनहित परियोजना के निर्माण हेतु 0.900 में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– गनियाद्योली – विशालकोट मार्ग का ग्राम तल्ला तरसवाड़ – कोठिया जौनी विशालकोट मार्ग का नवनिर्मा

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.900 है0 वन भूमि लो० नि० वि० (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.900 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :....................................... **Dated:..15-01-2016**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that ..0.900.. hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. ***P.D. PWD, Ranikhet*** Uttarakhand (Name of user agency) for Construction *of* Extension of Gavindhgadi Vishalkote Motor road (Purpose for diversion of forest land) in ***Almora*** district falls within jurisdiction of ...Tanaswari.. village(s) in ....Ranikhet..... Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..0.900.. Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

D.M.

Signature

जिलाधिकारी

(Full name of the official seal of the District Collector)

अल्मोड़ा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Savin Bansal,** I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......15-01-2016..........at time.......3:20 PM..........at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring 0.900.. hect. for the Construction of Ganiadhyoli Vishalkote motor road via Tana, Taraswar, Danito Vishalkot of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date : 15-01-2016

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा